कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी श्रावस्ती।

पत्रांकः–सी·261/स0क0/छात्रवृत्ति/2020–21 दिनांक–21-07-2020

1–जिला विद्यालय निरीक्षक,
जनपद श्रावस्ती।
2–समस्त प्रधानाचार्य (द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक श्रावस्ती)।

निदेशालय के पत्र संख्या–सी–893 दिनांक 20.07.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि छात्रवृत्ति की वेबसाइट **scholarship.up.nic.in** के स्थान पर **scholarship.up.gov.in** परिवर्तित की गयी है, कृपया उपरोक्त से समस्त सम्बन्धित को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

कृपया मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 83 दिनांक 15 जून 2020 (पूर्व दशम छात्रवृत्ति) एवम् पत्र संख्या 84 दिनांक 15 जून 2020 (दशमोत्तर छात्रवृत्ति) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020–21 को छात्रवृत्ति एवम् शुल्क प्रतिपूर्ति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिए गये हैं तथा आवेदक छात्रों के आधार नम्बर अपडेट रखने के निर्देश दिए गये है।

उपरोक्त पत्रों की प्रतिलिपियां पुनः आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि समस्त सम्बन्धित से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा सप्ताहिक प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कुमार हर्ष)
मुख्य विकास अधिकारी
श्रावस्ती।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रावस्ती (तहसील भिनगा से सम्बन्धित समस्त विद्यालय)।
2–जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्रावस्ती (तहसील इकौना से सम्बन्धित समस्त विद्यालय)।
3–जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्रावस्ती (तहसील जमुनहा से सम्बन्धित समस्त विद्यालय)।
4–लीड बैंक मैनेजर जनपद श्रावस्ती को इस आशय से कि प्रत्येक बैंक के कबरेज क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों में कैम्प लगवाकर खाता खुलवाना सुनिश्चित करें।
5–समस्त उपजिलाधिकारी जनपद श्रावस्ती को इस आशय से कि समय से आय तथा जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करें तथा छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आय तथा जाति प्रमाण पत्रों के आवेदन की सुविधा हेतु तहसील में हेल्प डेस्क बनवायें।
6–न्याय पंचायत के नोडल अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि अपने कबरेज क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों में पर्याप्त आवेदन कराना सुनिश्चित करें।
7–सहायक निदेशक, मत्स्य श्रावस्ती को जनपद के डिग्री कालेज की सूची इस निर्देश के साथ कि अनुश्रवण करके अधिकतम आवेदन कराना सुनिश्चित करें।

8–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती को विद्यालयों की सूची इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से विद्यालयों से आवेदन कराना सुनिश्चित करें।

9–प्राचार्य, डायट को तकनीकी विद्यालयों की सूची इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निरन्तर सम्पर्क करके विद्यालयों से सभी पात्र छात्रों का आवेदन कराना सुनिश्चित करें।

10–जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती को इस निर्देश के साथ कि ग्रामीण क्षेत्रों को आवेदको को योजना के बारे में जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

11–जिला सूचना अधिकारी श्रावस्ती को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

12–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्रावस्ती को इस आशय से कि छात्रवृत्ति से सम्बन्धित संशोधित वेबसाइट का उपरोक्त आदेश जनपद की वेबसाइट पर डालना सुनिश्चित करें।

13–समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को इस आशय से कि उनके क्षेत्र में संज्ञानित होने वाली समस्याओं का बैंक तथा तहसील तथा विद्यालय से समन्वय करके निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

20/7/2010

मुख्य विकास अधिकारी
श्रावस्ती।